

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

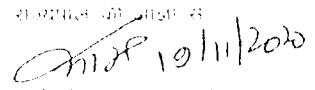
क्रमांक:-प.13(2)साप्र/2/2013

जयपुर, दिनांक: 25/11/2020

- : आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार पंचायती राज्य संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के 21 जिला में आम चुनाव पंचम्वर - दिसम्बर, 2020 में कराये जा रहे हैं (प्रति सत्रम् है)। मतदान चार चरणों में सम्पन्न होगा। अतः प्रथम चरण मतदान दिवस दिनांक 23.11.2020(सोमवार) द्वितीय चरण मतदान दिवस दिनांक 27.11.2020(शुक्रवार), तृतीय चरण मतदान दिवस दिनांक 01.12.2020 (मंगलवार) चतुर्थ चरण मतदान दिवस दिनांक 01.12.2020 (मंगलवार) को होने के कारण आदर्श आचार संहिता भाग-7 की पालना सुनिश्चित करने का प्रयत्न करें:-

- माननीय मंत्रीमण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय स्तर पर नहीं जायेंगे। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है वहां सख्त प्रतिक्रिया लागू नहीं होगी लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जायेगी।
 - माननीय मंत्रीमण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्तर पर रहें ताकि किसी सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते हैं तो उस पर लातकट्टी या सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
 - माननीय मंत्रीमण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्तर पर रहें ताकि चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाएँ।
 - माननीय मंत्रीमण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगला या अन्य सरकारी आवासों को या इससे सलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कार्य हेतु करना नहीं करें।
 - सरकारी विश्राम गृह, डाक बंगला या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दल या जनगोष्ठियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी लेकिन वे भी चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
 - सरकारी अधिकारी माननीय मंत्रीमण के स्तर के समय जबकि किसी स्वागत में या प्रोत्साहन में नहीं जायेंगे।
- संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से

(श्री मोहन लाल यादव)
विशेष शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

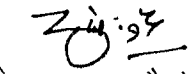
(E-mail:- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ 7(1)(1)पंचा/रा.नि.आ./2020/10109

दिनांक : 20/11/2020.

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत), अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, झुंजरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक एवं उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,


(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव